(84)

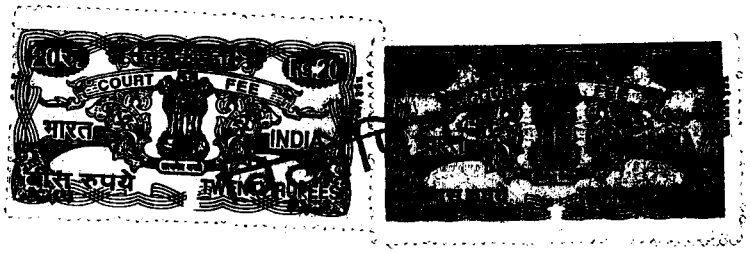

समक्ष— माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर,

पुर्नविलोकन याचिका कमांक— ———/2017 निग 893-PBR/17

श्री ओ.पी. शर्मा, अभि. द्वारा आज दि. 16.3.17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 16.3.17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

O. P. Sharma Adv 16.1.17

पुर्नविलोकनकर्ता/आपत्तिकर्ता— 1— राजेश जैसानी आयु लगभग 44 वर्ष आत्मज श्री पुरूषोत्तम दास जैसानी

2—सचिदानंद जैसानी आयु लगभग 40 वर्ष आत्मज श्री पुरूषोत्तम दास जैसानी

3— नित्यानंद जैसानी आयु लगभग 29 वर्ष आत्मज श्री पुरूषोत्तम दास जैसानी सभी निवासी— ग्राम धनवाडा तहसील खिरकिया जिला— हरदा म.प्र.

विरूद्व

उत्तरवादी/आवेदकगण— 1— काति कुमार जैसानी आयु लगभग 33 वर्ष आत्मज स्व. जमना प्रसाद जैसानी

2— शांति कुमार जैसानी आयु लगभग 31 वर्ष आत्मज स्व. जमना प्रसाद जैसानी

3— दुर्गेश जैसानी आयु लगभग 60 वर्ष पत्नी स्व जमना प्रसाद जैसानी
(उक्त सभी निवासीगण गाँधीपुरा हरदा जि. हरदा (म.प्र.))

4—कीर्ति जैसानी आयु लगभग 30 वर्ष आत्मज स्व जमना प्रसाद जैसानी पत्नि संदीप बोहरा निवासी— 203 नंदी पार्क अपार्टमेंट गायत्री सोसायटी नं—2 उधनागांव, सूरत (गुजरात)

5—कृष्णा बाई आयु लगभग 64 वर्ष पुत्री स्व. मूलचंद जैसानी पत्नि स्व. श्री शिवनारायण नंदवाना वार्ड नं—20 मेनरोड, बेमेतरा (छत्तीसगढ़)

उत्तरवादी/अनावेदक— पुरूषोत्तम दास आयु लगभग 67 वर्ष आत्मज स्व श्री मूलचंद जैसानी निवासी ग्राम धनवाड़ा तहसील खिरकिया जिला— हरदा म.प्र.

<u>आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 51 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959</u>

यह कि पुर्नविलोकनकर्ता/आपत्तिकर्ता की ओर से आदेश दिनांक 17/1/17 को प्रकरण कमांक– निगरानी 3856 पी वी आर /15 में पारित आदेश से परिवेदित होकर यह पुर्नविलोकन याचिका निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 893–पीबीआर/17 जिला हरदा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13–4–2017	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह रिव्यु प्रकरण इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 3856–पीबीआर/15 में पारित आदेश दिनांक 17–1–17 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । संहिता की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है:– 1. किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2. मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3. कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदकगण की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में ऐसी कोई बात अथवा साक्ष्य नहीं दर्शाया गया है, जो आदेश पारित करते समय उनकी जानकारी में नहीं थी, अथवा प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी । अभिलेख से परिलक्षित कोई त्रुटि भी नहीं दर्शाई गई है, केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि दर्शाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं है । 2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	